49

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-62-एक/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 12-12-2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक-125/अपील/2006-07

.....

रामदीन लोहार तनय धुनिया लोहार
निवासी-ग्राम पटना, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला-रीवा(म0प्र0)

-----आवेदक

विरूद्ध

1- रामगरीब तनय शिवशरण लोहार
निवासी-ग्राम पटना, तहसील रायपुर कर्चुलियान
जिला-रीवा(म0प्र0)

2- सुग्रीव प्रसाद लोहार तनय शिवशरण लोहार
केन्द्रीय पुस्तकालय, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय
रीवा(म0प्र0)

3- सूर्यदीन लोहन तनय शिवशरण लोहार
निवासी-लखन चौक, टिकुरिया टोला, सतना
जिला-सतना (म0प्र0)

-----अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-12-2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में वादग्रस्त आराजियों का 1/2 हिस्से के बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहॉ पर तहसीलदार ने विचारोपरांत बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान ने अपने प्रकरण क्रमांक 52/अ-27/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2006 से अपील स्वीकार की । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 125/अपील/2006-07 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 12.12.2007 से

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश को सारहीन मानकर निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में विवादित आराजी पैत्रिक थी किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य की विवेचना नहीं की गई कि विवादित भूमियां किस प्रकार से पैत्रिक है। क्या पैत्रिक घोषिक थी? यदि घोषित थी तो किस सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित भमियां घोषित थी का उल्लेख अपने आदेश में कहीं अंकित नहीं किया है। यदि भूमियां पैत्रिक थी तो इस तथ्य की घोषणा अनावेदकगण को कराने के लिये प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया जाना था। उन्होंनों ने यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्रदर्द्गा पी0 2 एवं पंचनामा प्रदर्द्गा पी0 3 पर अपने आदेश को आधारित कर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कर्चुलियान के आदेश दिनांक 31.10.06 को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के समक्ष धारा 178 म0प्र0 भू0राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार अपील का निराकरण करना चाहिये था । अंत में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अपर आयुक्त

के आदेश दिनांक 12.12.2007 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में लिखित तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पटना तहसील रामपुर जिला-रीवा स्थित भूमि नं0 30, 31, 36, 37, एवं 114 कुल रकबा 3.60 एकड़ अनावेदकगण की पुस्तैनी पैत्रिक सहदयिकी भूमियां है जो संयुक्त परिवार के मालिक मुखिया कर्ता खानदान के नाते रिकॉर्ड में पहले बहोरी के नाम बाद में बड़े पुत्र धुनिया के नाम व बाद में वहैसियत परिवार के कर्ता आवेदक रामदीन के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति भले ही किसी एक कर्ता के नाम दर्ज हो वह सम्पत्ति सभी सहदायिक सदस्यों अनावेदकगण की मानाी जावेगी । उन्होंने ने यह भी तर्क दिया कि उक्त भूमियों का आपसी बटवारा आवेदक व अनावेदकगण के बीच अर्सा पूर्व मौके पर हो चुका है और बटवारा पुल्ली प्रदर्द्गा पी0 1 में दर्ज आधी भूमियां आवेदक को बटवारा में प्राप्त हो चुकी थी और 1/2 भूमियां मुताबिक बटवारा पुल्ली प्रार्थी/अनावेदक के स्वत्व व कब्जे में अर्सा पूर्व से है, परन्तु पूर्व से चले आ रहे मौके बटवारा के मुताबिक रिकार्ड में बटवारा दर्ज नहीं था, इस कारण मौके पर पूर्व के बटवारा के अनुसार रिकार्ड में बटवारा नामांतरण हेतु अनावेदकगण की ओर से संहिता की धारा 178, 109, 110 का प्रकरण तहसीलदार रायपुर कुर्चलियान रीवा में पेश किया गया, जिसमें विधिवत आवेदक को

सूचना व सुनवाई का मौका दिया गया तथा इश्तहार जारी किया गया था, परन्तु आवेदक विचारण न्यायालय में प्रकरण को टालने की गरज से अनावश्यक आपत्ति करता रहा । आवेदक की उपस्थिति में विचारण न्यायालय में अनावेदकगण ने अपने स्वयं के साक्ष्य व स्वतंत्र साक्षी शोभनाथ व छोहनलाल की साक्ष्य देकर अपना बटवारा व नामांतरण का मामला साबित व प्रमाणित किया, जिसके कारण अनावेदकगण के हित में नामांतरण बटवारा किया गया । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी साक्ष्य व अभिलेख के साक्ष्य की बगैर उचित विवेचना किये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया, जिसे अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश दिनांक 12.12.2007 से विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक के हक में पारित बटवारा नामांतरण को उचित व वैध ठहराया है। इस संबंध में न्ययिक दृष्टांत रा0निं0 1965 पृष्ठ 465 बैजू बनाम मुलायमबाई, अरा0एन0 1963 पृष्ठ 580 पूरन बनाम रतीराम, अरा0नि0 1967 पृष्ठ 333 श्यामकुंअर बनाम दश रथ लाल, रा0नि0 1985 पृष्ठ 107 अनंत बनाम पुरूषोत्तम, एवं जे0एल0जे0 1985 पृष्ठ 105 सुप्रीम कोर्ट उल्लेखित है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत प्रकरण का परिशीलन

नहीं किया है और न ही प्रकरण में आये साक्ष्य का भी विधिवत विवेचना किये ही विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है, जबकि विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष के साक्ष्य लिये है जिससे विदित होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों पुस्तैनी पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रकरण में आये साक्ष्य के बयान के अनुसार विवादित भूमियों का बटवारा हो चुका है जिसके धुनिया एवं शिवशरण उक्त भूमि के पट्टेदार थे। आवेदक यह बताने में असफल रहा कि यदि वह विवादित भूमि का स्वयं खातेदार है तो वह भूमि उसे कहॉ से प्राप्त हुई । इस संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार ने विधिवत विवेचना उपरांत ही बटवारा नामांतरण आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती और इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्व विवेचना कर तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 12-12-2001 न्यायासंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश ,
ग्वालियर,